

## वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम – ऑपरेशनलाईज ब्लड बैंक

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – FRUs (BSUs)

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – A.8.1.2..1.b

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

21 FRU's में Blood Bank इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं संतोष मेडिकल संस्था के द्वारा कार्यरत है । 7 FRUs के Blood Bank संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से नियमानुसार संचालित है । साथ ही वित्तीय वर्ष 2014–15 में 6 नये ब्लड बैंक यथा अरवल, अररिया, बांका, सुपौल, पूर्वी चम्पारण, एवं शिवहर का संचालन किया जाना है । उपरोक्त ब्लड बैंक में अनुबंध के आधार पर तीन–तीन प्रयोगशाला प्रावैद्यिकी की नियुक्ति की जानी है । जिस FRUs के Blood Bank का संचालन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं संतोष मेडिकल संस्था के द्वारा किया जा रहा है, वहां भी संबंधित एजेंसी के द्वारा तीन प्रयोगशाला प्रावैद्यिकी प्रत्येक ब्लड बैंक हेतु उपलब्ध कराया जाना है । जिसके लिये एजेंसी को निम्न सारणी के अनुसार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा राशि निर्गत की जानी है । शेष Blood Bank में भी तीन–तीन प्रयोगशाला प्रावैद्यिकी की नियुक्ति संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा अनुबंध पर की जानी है । जिसका भुगतान भी निम्न सारणी के अनुसार ही किया जायेगा ।

इकाई राशि (रु0 में) –

क्रम सं0	विवरणी	संख्या	दर	माह	राशि (3x4x5=6)
1	2	3	4	5	6
1	लेबोरेटरी टेक्निशियन का मानदेय	3	10,000 /— प्रतिमाह	12	360000 /—

वित्तीय दिशा निर्देश – ब्लड बैंक/रक्त भंडारण केन्द्रों के संचालन हेतु उपरोक्त विवरणी के अनुरूप उक्त मद में इसी दर से व्यय किया जाना है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम – डॉ एन0 के0 मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नं0 – 9470003022

## वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम – ऑपरेशनलाईज ब्लड बैंक

बजट / एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – FRUs (BSUs)

बजट क्रम संख्या / एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – A.8.1.5.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

21 FRU's में Blood Bank इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं संतोष मेडिकल संस्था के द्वारा कार्यरत है। 7 FRUs के Blood Bank संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से नियमानुसार संचालित है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014–15 में 6 नये ब्लड बैंक यथा अरवल, अररिया, बांका, सुपौल, पूर्वी चम्पारण, एवं शिवहर का संचालन किया जाना है। उपरोक्त ब्लड बैंक में अनुबंध के आधार पर एक विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी/ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) की नियुक्ति की जानी है। जिस Blood Bank का संचालन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं संतोष मेडिकल संस्था के द्वारा किया जा रहा है, वहां भी संबंधित एजेंसी के द्वारा एक विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी/ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) प्रत्येक ब्लड बैंक हेतु उपलब्ध करायी जानी है। जिसके लिये एजेंसी को निम्न सारणी के अनुसार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा राशि निर्गत की जानी है। शेष Blood Bank में भी एक-एक विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी/ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) की नियुक्ति संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा अनुबंध पर की जानी है। जिसका भुगतान भी निम्न सारणी के अनुसार ही किया जायेगा।

इकाई राशि (रु0 में) –

क्रम सं0	विवरणी	संख्या	दर	माह	राशि (3x4x5=6)
1	2	3	4	5	6
1	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी/ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन)	1	35,000/- प्रतिमाह	12	4,20,000/-

नोट :

- विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी/ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) जिन्हें ब्लड ग्रुप सिरोलोजी, मेथोडोलोजी एवं रक्त दान, भंडारण प्रक्रिया तथा रक्त के विभिन्न अवयवों के निर्माण तथा प्रक्रिया का समुचित ज्ञान हो। या
- उपलब्ध नहीं होने पर एम0बी0बी0एस0 एवं पैथोलॉजी/ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में डिप्लोमा हों तथा ब्लड ग्रुप सिरोलोजी, मेथोडोलोजी एवं रक्त दान, भंडारण प्रक्रिया तथा रक्त के विभिन्न अवयवों के निर्माण तथा प्रक्रिया का समुचित ज्ञान हो। या
- एम0बी0बी0एस0 एवं अपनी सेवा काल में ब्लड बैंक का कम से कम 1 वर्ष का कार्यानुभव हो तथा ब्लड ग्रुप सिरोलोजी, मेथोडोलोजी एवं रक्त दान, भंडारण प्रक्रिया तथा रक्त के विभिन्न अवयवों के निर्माण तथा प्रक्रिया का समुचित ज्ञान हो।
- स्नातक डिग्री या डिप्लोमा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हो।
- उनका भुगतान सरकारी नियमानुसार किया जायेगा। उक्त मद में किये जाने वाले राशि का व्यय एजेंसी के साथ भी लागू होगा।

6.

वित्तीय दिशा निर्देशन – ब्लड बैंक के संचालन हेतु उपरोक्त विवरणी के अनुरूप उक्त मद में इसी दर से व्यय किया जाना है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम – डॉ० एन० के० मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नं० – 9470003022

## क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन।

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): 24 X 7 PHCs/ APHCs (MO recruited)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.8.1.5.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराया जाना राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम के प्राथमिकताओं में से एक है। गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को उत्तम संस्थागत स्वास्थ्य सुविधाएँ समुदाय में ही उपलब्ध कराकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी करने के उद्देश्य हेतु सरकार के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकारण हेतु द्वितीय चरण सुधार (Second Generation Reforms) के अंतर्गत राज्य के 534 प्रखण्डों में न्यूनतम एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 24 X 7 के रूप में क्रियान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है। अग्रतर कार्रवाई के क्रम में प्रत्येक प्रखण्ड से चयनित एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु एक चिकित्सा पदाधिकारी का पद अनुबंध के आधार पर नियुक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के PIP में भारत सरकार के द्वारा अनुमोदन दिया गया है।

इकाई राशि (रु० में) :30000 / प्रतिमाह

वित्तीय दिशा निर्देश :प्रत्येक प्रखण्ड से चयनित एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु एक चिकित्सा पदाधिकारी का पद अनुबंध के आधार पर नियुक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के PIP में भारत सरकार के अनुमोदन के आलोक में चार माह हेतु राशि आवंटित की जा रही है। कुल 534 चिकित्सा पदाधिकारी का जिलावार रिक्तियों की संख्या तथा TOR मानव संसाधन कोषांग के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को विस्तृत दिशा निर्देश के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो ( पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : डा० बी०के०मिश्र-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / श्री गौरव कुमार-उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705 / 9431005972

## वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम – पोषण पुनर्वास केन्द्र (20 बेड)

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – MOs for SNCU/NBSU/NRC etc  
बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – A.8.1.5.6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

### 1. उद्देश्य –

- a. 60 महीने के उम्र से कम के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में कुपोषण को नियंत्रित करना ।
- b. गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों (SAM children) जिनका व्यापकता दर (Prevalence Rate) 8-33% है, उसे 1% से कम पर लाना है ।
- c. गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की माताओं की पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चों के साथ रखकर स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता (Nutrition, Health & Hygiene) के संबंध में प्रशिक्षित करना ।
2. गतिविधि किसके द्वारा की जायेगी – आउटसोर्सिंग के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से चयनित एजेंसियों के द्वारा संचालित किया जाना ।
3. समय अंतराल / अवधि – पोषण पुनर्वास केन्द्र में **medical complication** के साथ अति गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती किया जाना है तथा समुचित उपचार एवं देखभाल के पश्चात बच्चों में 15 प्रतिशत वजन वृद्धि और बीमारी का कोई लक्षण मौजूद नहीं होनी चाहिए । गतिविधि का स्तर – प्रत्येक जिले में एक पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन ।
4. गतिविधि का कार्यान्वयन – आउटसोर्सिंग के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कुपोषित बच्चों हेतु एक पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है । 38 जिलों में पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित कर गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषाहार, ईलाज तथा माताओं को पोषण एवं हायजिन संबंधित शिक्षा पोषण पुनर्वास केन्द्र के द्वारा प्रदान की जा रही है । उक्त पोषण पुनर्वास केन्द्र का संचालन वित्तीय वर्ष 2014–15 में भी किया जाना है । प्रत्येक वर्ष जिले के सिविल सर्जन के द्वारा गठित दल पोषण पुनर्वास केन्द्र का कार्यकाल पूर्ण होने पर एजेंसी के कार्य की समीक्षोपरांत एक वर्ष के लिये कार्य विस्तार की अनुमति प्रदान करेंगे तथा इसकी सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे । यदि किसी कारण से एजेंसी को कार्य विस्तार नहीं करने का प्रस्ताव है तो संबंधित पूर्ण विवरण एवं प्रतिवेदन कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समर्पित करना है एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अनुमोदनोपरांत ही उस जिले के पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालन की व्यवस्था किसी अन्य एजेंसी को सौंपी जा सकती है ।
5. शिशु रोग विशेषज्ञ/चिकित्सा पदाधिकारी – प्रत्येक जिले में एक पोषण पुनर्वास केन्द्र में 1 शिशु रोग विशेषज्ञ/चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति अनुबंध/मानदेय के आधार पर पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालक संस्था के द्वारा किया जाना है । जिसके मानदेय का भुगतान संबंधित एजेंसी के द्वारा किया जाना है । संबंधित एजेंसी को शिशु रोग विशेषज्ञ/चिकित्सा पदाधिकारी को भुगतेय राशि संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा उक्त बजट शीर्ष के अंतर्गत निर्गत राशि से उपलब्ध कराया जाना है । जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि प्रत्येक शिशु रोग विशेषज्ञ को प्रति माह 35000/- रुपये अथवा चिकित्सा पदाधिकारी को नियमानुसार राशि भुगतेय हो ।

## वित्तीय दिशा निर्देशन

इकाई राशि (रु० में) –

क्रम सं०	विवरणी	संख्या	दर	माह	राशि (3x4x5=6)
1	2	3	4	5	6
1	शिशु रोग विशेषज्ञ / चिकित्सा पदाधिकारी	1	35,000/- प्रतिमाह	12	420000/-

शिशु रोग विशेषज्ञ की योग्यता :

Sl. No.	Name of Post	Qualification/experience	Renumeration/Staff/month (In Rupees)
1	Pediatrician (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MBBS Degree from a Recognized University and Registered with Medical Council of India (MCI)</li> <li>• FIMNCI/Post graduation training in Nutrition and/or Health.</li> </ul>	35000

\* In case MD (Paed) is not found, position can be filled by DCH or IMNCI trained MBBS with proportionate deduction in remuneration (i.e. Rs. 30,000/- pm for DCH and Rs. 30,000/- pm for IMNCI trained MBBS). If no Pediatrician/DCH/ IMNCI trained MBBS available with the Agency, services of the government doctor posted in the concerned health institution may be obtained. But in that case, the fund earmarked for the Pediatrician will be deducted from Agency's monthly payment.

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)  
(क)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम – डॉ एन० के० मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नं० – 9470003022

४४  
119

## क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम- Human Resources

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक-2 के आधार पर) : Additional Allowances/Incentives to M.O.s

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर) : A.8.1.6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य के प्रत्येक FRU में 24 x 7 सिजेरियन शल्य चिकित्सा की सेवा से आच्छादित करने के उद्देश्य से MBBS डिग्रीधारी चिकित्सकों को LSAS व EmOC प्रषिक्षण में प्रविक्षित किया जाता है। प्रविक्षित चिकित्सकों द्वारा शल्य चिकित्सा/जटिल प्रसव में मदद करा कर मातृत्व व षिषु मृत्यु दर में कमी लायी जाती है। इस हेतु ये आवश्यक हैं कि इन चिकित्सकों को प्रोत्साहन के तौर पर कुछ राषि भी प्रदान की जाय ताकि सभी LSAS एवं EmOC प्रविक्षित चिकित्सक और अधिक उत्साह के साथ अपना कर्तव्यनिर्वहन कर सकें। इस हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने इस वित्तीय वर्ष से इन चिकित्सकों को प्रोत्साहन राषि देने का निर्णय लिया है।

इकाई राशि (रु० में) : ₹ 85,263/- प्रति जिला ।

वित्तीय दिशा निर्देश :

भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में इस प्रोत्साहन राषि का भुगतान LSAS एवं EmOC प्रविक्षित चिकित्सकों के व्यक्तिगत Performance के आधार पर दिया जायेगा। Performance का आकलन FRU में जटिल प्रसव की संख्या के आधार पर होगा। वैसे FRU जहाँ अभी तक C-section की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि वहाँ कुल प्रसव का 1% EmOC एवं LSAS प्रविक्षित चिकित्सकों के द्वारा C-section के माध्यम से प्रसव कराया जाता है, तो मानदेय के साथ मिलने वाली राषि में ₹ 2000/- प्रतिमाह प्रोत्साहन राषि के रूप में जोड़कर राषि का भुगतान किया जायेगा। इसके पश्चात् प्रति केस के आधार पर प्रति जटिल प्रसव (C-section) ₹ 400/- के दर से भुगतान किया जायेगा, लेकिन प्रोत्साहन राषि के रूप में कुल प्राप्त होने वाली राषि ₹ 5000/- से अधिक नहीं होगी। जिला अस्पतालों में प्रत्येक माह 05 सर्जरी या Anaesthesia किये जाने की स्थिति में ही ₹ 400/- प्रति प्रसव की दर से इस राषि का भुगतान किया जायेगा। जिला अस्पतालों के लिए यह ₹ 400/- की राषि प्रत्येक माह ₹ 2000/- दी जाने वाली राषि के अतिरिक्त होगी।

स्पष्ट हैं कि जिला अस्पतालों तथा उनके नीचे के FRU में इस राषि का भुगतान Performance के आधार पर होगा तथा भुगतान की जाने वाली राषि की पूर्ण विवरणी एवं चिकित्सकों के द्वारा किये जाने वाले C-section की पूर्ण विवरणी प्रत्येक माह राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को भेजा जाना आवश्यक है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ जयती श्रीवास्तव, उपनिदेशक-प्रशिक्षण

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन/मोबाइल नंबर : 0612-3244041, +91 9470003019

Jayati

✓

५५५

120